1

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

निग/2766/I/15

(जबलपुर केम्प)

कामता प्रसाद आ0 मंशाराम उम्र 85 वर्ष, जाति लोधी, पेशा काश्तकारी, निवासी ग्राम पचामा पो0 अमाझा तह0 गाडरवारा, जिला–नरसिंहपुर म0प्र0।

....................पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. हरनारायण आ0 ओमकार प्रसाद उम्र 70 वर्ष, जाति ब्राम्हण, पेशा काश्तकारी, निवासी ग्राम पचामा पो0 अमाझा तह0 गाडरवारा, जिला–नरसिंहपुर म0प्र0।

2. ब्रजेश आ0 अयोध्याप्रसाद उम्र 45 जाति ब्राम्हण, पेशा काश्तकारी, निवासी मु0 पो0 अमाझा तह0 गाडरवारा, जिला–नरसिंहपुर म0प्र0।

.................उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

यह पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणकर्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार महोदय चीचली तह0 गाडरवारा जिला–नरसिंहपुर के द्वारा रा0मा0 क.1135ब/121 वर्ष 2014–15 हरनारायण बगैरह बनाम कामता प्रसाद लोधी में पारित आदेश दिनांक 22.04.2015 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है जिसके तथ्य एवं आधार निम्नलिखित हैः–

''पुनरीक्षण के तथ्य''

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता के नाम से मौजा पचामा प0ह0नं0 42 रा0नि0मं0 बाबईकला तह0 गाडरवारा जिला–नरसिंहपुर में ख0नं0 12/1 रकवा 0.251 हे0 ख0नं0 39/1 रकवा 0.081 हे0 ख0नं0 39/2 रकवा 0.081 हे0, ख0नं0 39/4 रकवा 0.085 हे0, ख0नं0 53/3 रकवा 0.340 हे0, ख0नं0 139/2 रकवा 0.008 हे0, ख0नं0519/1 रकवा 0.146 हे0, ख0नं0 522 रकवा 0.304 हे0 कृषि भूमि राजस्व अभिलेखो में बतौर भूमि स्वामी दर्ज है। उक्त रकवे पर पुनरीक्षणकर्ता काबिज होकर काश्तकारी करता रहा है। पुनरीक्षणकर्ता के पश्चिम दिशा में ख0नं0 25 रकवा 1.153 हे0 भूमि भू–जल मद में दर्ज है। उक्त नाला में से होकर मौजा बाबई, मौजा पचाभा एवं अन्य मौजा का बरसाती पानी बहता है उक्त नाला करीब 40 फीट चौड़ा एवं लगभग 30 फीट गहरा है।

सुरेश श्रीवास्तव (अभिवक्ता)
पं. क. 2815/94
कार्या. एवं निवास –
अलका टाकीज के सामने
गाडरवारा, जिला–नरसिंहपुर(म.प्र.)
मो.– 9926325042

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2766–एक/15 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–8–16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार, वृत्त चीचली तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 1135/ब–121/2014–15 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22–4–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदकों को 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 131 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया कि अनावेदकों द्वारा उनका रास्ता अवरूद्ध किया गया है उक्त आवेदन पर सुनवाई करते हुए तहसीलदार ने आवेदकों को निर्देश दिए हैं कि वे अनावेदकों को उक्त रास्ते से कृषि कार्य करने हेतु आवागमन करने से न तो स्वयं रोकेंगे और न ही किसी अनय से रूकवायेंगे । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ प्रकरण में अनावेदक एकपक्षीय है । आवेदक अधिवक्ता को सुनवाई दिनांक को 10 दिवस में लिखित तर्क पेश करने के निर्देश दिए गए थे किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क पश नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 4/ तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अनावेदकों	

निग.- 2766-I/15 (1/[illegible])

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	को प्रश्नाधीन रास्ता उपलब्ध कराया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि अनवेदकों के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न होने के कारण अंतरिम रूप से प्रकरण के निराकरण तक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया गया है और तहसीलदार को प्रकरण में अभी अंतिम रूप से आदेश पारित करना है जहां आवेदकों को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वह प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर न होने और उनके द्वारा अवरूद्ध न किए जाने के तथ्य को प्रमाणित कर सकते है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	